

OK

GAU
27/1/2015

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT PATNA
[CIVIL WRIT JURISDICTION]

C.W.J.C. No. of 2015

Ravindra Kumar -----Petitioner

Versus

The State Of Bihar & Ors. ----- Respondents

SUBJECT : Service Matter

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page nos.
01.	In the matter of an application Under Article 226 of the Constitution of India	1 to 20
02. Annexure-1.	A Photo copy of Chart of the Employee	21-22
03. Annexure-2 & 3.	A Photo copy of letter dated 07.05.2012 and 13.03.2012	23-24
04. Annexure-4 Series.	Photo copies of some of the letters	25-26
05. Annexure-5.	Photo copy of letter dated 06.09.2014	27
06. Annexure-6.	Photo copy of letter dated 22.09.2014	28
07. Annexure-7.	Photo copy of letter dated 25.09.2014	29
08. Annexure-8.	Photo copy of letter dated 26.09.2014	30
09. Annexure-9.	Photo copy of letter dated 30.09.2014	31-32
10. Annexure-10.	Photo copy of letter no. 1743 dated 30.09.2014	33
11. Annexure-11 Series.	Photo copies of some of the representations	34-35
12. Annexure-12.	Photo copy of letter no.207 dated 12.11.2014	36
13. Annexure-13.	Photo copy of letter dated 28.11.2014	37
14. Annexure-14.	Photo copy of letter dated 06.12.2014	38
15. Annexure-15.	Photo copy of letter dated 07.01.2015	39
16.	VAKALATNAMA	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT PATNA
[CIVIL WRIT JURISDICTION]

C.W.J.C. No. of 2015

Ravindra Kumar -----Petitioner

Versus

The State Of Bihar & Ors. ----- Respondents.

SYNOPSIS

That this Writ Petition is being filed on behalf of the Petitioner for issuance of an appropriate writ in the nature of certiorari for quashing the notification as contained in Memo No. 7060 dated 07.01.2015 issued under the signature of Secretary of the Bihar School Examination Board (Senior Secondary) (hereinafter referred to as 'the Board') by which an Ad-hoc Committee has been constituted in the College violating the Rules and the affiliation bye-laws as prepared by the Board; For issuance of an appropriate holding and declaring the nomination of Principal-cum-Member Secretary as Dr. Deepak Kumar Singh to be wholly arbitrary, illegal and malafide and in teeth of the different notifications issued by the Board with regard to placing a person as incharge of the College after superannuation or the post of Principal falling vacant for any reason, and for issuance of an appropriate writ directing the Respondent Board to treat the petitioner as In-charge Principal of the Hansi

Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura (hereinafter referred to as the 'College') as he is the senior most teacher in the College as there is a specific guideline to the effect by the Board that the senior most teacher of a College is only entitled for being posted as the In-charge Principal of the College.

LIST OF DATES

1983: Petitioner has been appointed as a Lecturer in the Department of Philosophy in the College.

1990: Private respondent Sri Deepak Kumar Singh, who has been appointed on 17.08.1990 and who is not even on the sanctioned post in the College and as such is a junior most teacher in the College.

07.05.2012/13.03.2012: Letter dated 07.05.2012 and 13.03.2012, issued by the Board by which it has been specifically instructed that the age of superannuation of teacher and non-teaching employees working in +2 Schools would be 60 years and after his superannuation, the senior most teacher would be given the charge of Principal of the College.

2014: The Secretary of the Managing Committee written letter to the then Professor incharge of the College to

hand over the charge to the petitioner, as he is the senior most teacher.

06.09.2014: The District Education Officer, Madhepura vide its letter dated 06.09.2014 addressed to Sri Pramod Mishra directing him to hand over the charge to the senior most teacher of the College.

22.09.2014: On the basis of the letter of the District Education officer dated 06.09.2014, the superannuated principal, namely, Pramod Mishra, with a cunning interest handed over the charge to one Dipak Kumar Singh, the junior most teacher and as such the petitioner by its letter dated 22.09.2014 addressed to the District Education Officer, Madhepura requested to enquire into the matter and take all appropriate action.

25.09.2014: The District Education Officer vide its letter dated 25.09.2014 addressed to the Secretary of the Managing Committee reminding therein that by earlier letter dated 09.09.2014, it was directed to Sri Pramod Mishra to hand over the charge to the senior most teacher.

26.09.2014: The Secretary of the Managing Committee by its letter dated 26.09.2014 issued appropriate direction to the private respondent to hand over the charge to

the petitioner and make available the OMR registration forms, otherwise F.I.R. will be lodged against him.

30.09.2014: The District Education Officer, Madhepura by its letter dated 30.09.2014 addressed to the Secretary of the Board informing therein that the petitioner is Senior most teacher in the College and as such the OMR forms handed over to the private respondents should be cancelled and the OMR forms should be issued to the Petitioner.

30.09.2014: The District Education Officer, Madhepura by its letter no. 1743 dated 30.09.2014 addressed to the Branch Manager of the State Bank of India, Bihariganj informing therein to add the name of the petitioner as incharge Principal of the College.

12.11.2014: The District Education Officer, Madhepura has explained to the Board that the petitioner has been given permission to discharge his duty as incharge Principal of the College and OMR Forms have also been issued in his favour by the office.

28.11.2014: The Secretary of the Board vide its letter dated 28.11.2014 addressed to the Principal of K.P. College, Muraliganj nominating him, as the convener of the college of the Petitioner, in view of the fact that

a decision has been taken by the Board to constitute an Ad-hoc Managing Committee in the College.

06.12.2014: Petitioner by its letter dated 06.12.2014 addressed to the convener of the Managing Committee informing therein that though he has been given the charge of the Principal of the College on 29.09.2014 but the superannuated employee i.e. Pramod Mishra has not handed over the charge and as such great difficulty occurs in maintaining the affairs of the College.

07.01.2015: The Board by its notification dated 07.01.2015 constituted an Ad-hoc Managing Committee in the College and has mentioned the name of Dr. Dipak Kumar Singh, as the Principal of the College and he has been nominated as Principal-cum-Member Secretary of the Ad-hoc Managing Committee. The petitioner has serious objection in inclusion of the name of the private respondent in the said list of Ad-hoc Managing Committee as the District Education Officer, Madhepura from time to time has given instruction to the College to hand over the charge to the petitioner, as he is the senior most teacher of the College.

Hence, this writ application.

*Filed Through
Arjun Kumar
Adv.
A.C.R. No 02135
27-01-2015*

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT PATNA
[CIVIL WRIT JURISDICTION]

C.W.J.C. No. of 2015

In the matter of an Application
under Article 226 of the
Constitution of India;

And

In the matter of;

Ravindra Kumar, aged about 59 years, son of Late Shiv
Prasad Mehta, resident of Village- Sheikhpura, P.S.-
Bihariganj, District- Madhepura.

..... Petitioner

VERSUS

1. Bihar School Examination Board (Senior Secondary) through
its Secretary, Buddha Marg, Patna.
2. The Chairman, Bihar School Examination Board (Senior
Secondary), Buddha Marg, Patna.
3. The Secretary, Bihar School Examination Board (Senior
Secondary), Buddha Marg, Patna.

4. The State of Bihar through the Principal Secretary, Education Department, Govt. of Bihar, New Secretariat, Patna.
5. The Principal Secretary, Education Department, Govt. of Bihar, New Secretariat, Patna.
6. The Regional Deputy Director, Koshi Division, Saharsa.
7. The District Education Officer, Madhepura.
8. The District Programme Officer (Madhyamik), Madhepura.
9. Ad-hoc Managing Committee (disputed) of Hansi Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura through its convener, namely, Dr. K.S. Ojha.
10. Dr. Deepak Kumar Singh, Principal (disputed) Hansi Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura.
11. Pramod Mishra, Son of Sri Naresh Mishra, resident of Village + P.O.- Gamai, P.S.- Bihari Ganj, District- Madhepura, (Ex-Principal incharge), Hansi Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura.
12. Prof. Subhash Chandra Yadav, Member-cum-Teacher representative of the Ad-hoc Managing Committee, Hansi Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura, at present Lecturer in the Department of Sociology in Hansi Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura.
13. Prof. Dilip Kumar Chaudhary, Member-cum-Teacher representative of the Ad-hoc Managing Committee, Hansi Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura, at present Lecturer in the Department of

History in Hansi Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura.

14. Raj Kumar Bhagat, Member-cum-Non-Teaching representative of the Ad-hoc Managing Committee, Hansi Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura, at present Correspondence Clerk in Hansi Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura

..... Respondents

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble Petition on behalf of the Petitioner named above.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. That this Writ Petition is being filed on behalf of the Petitioner for the following reliefs:
 - a. For issuance of an appropriate writ in the nature of certiorari for quashing the notification as contained in Memo No. 7060 dated 07.01.2015 issued under the signature of Secretary of the Bihar School Examination Board (Senior Secondary) (hereinafter referred to as 'the Board') by which an Ad-hoc

Committee has been constituted in the College violating the Rules and the affiliation by-laws as prepared by the Board.

- b.** For issuance of an appropriate holding and declaring the nomination of Principal-cum-Member Secretary as Dr. Deepak Kumar Singh to be wholly arbitrary, illegal and malafide and in teeth of the different notifications issued by the Board with regard to placing a person as incharge of the College after superannuation or the post of Principal falling vacant for any reason.
- c.** For issuance of an appropriate writ directing the Respondent Board to treat the petitioner as incharge Principal of the Hansi Mandal Inter College, Bhagwat Nagar, Bihari Ganj, Madhepura (hereinafter referred to as the 'College') as he is the senior most teacher in the College as there is a specific guideline to the effect by the Board that the senior most teacher of a College is only entitled for being posted as the incharge Principal of the College.
- d.** For issuance of any other order/orders or relief/reliefs for which the petitioner may found to be entitled in the facts and circumstances of the case.

2. That the Petitioner is a citizen of India and amenable to the writ jurisdiction of this Hon'ble Court for redressal of his grievances as he resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.

3. That the present writ petition is being filed on behalf of the petitioner on amongst the following main grounds:

(i) For that the constitution of the Ad-hoc Managing Committee by the impugned notification is wholly arbitrary, illegal and malafide and in teeth of different provisions as contained in affiliation bye-laws and the Rules framed by the Board.

(ii) For that the respondents Board has acceded his jurisdiction in nominating Dr. Deepak Kumar Singh as Member Secretary of the College, though it is an admitted fact that the petitioner is a senior most teacher in the College and he can only be the Member Secretary of a Committee constituted by the Board.

(iii) For that the respondent Board has over looked the fact that even though the Teacher representative as well as Non-teaching representative has not been duly elected in accordance with law and even when there was no material before the Board with regard to Election, Professor Subhash Chandra

Yadav, Prof. Dilip Kumar Chaudhary and Raj Kumar Bhagat have been nominated as Teaching and Non-teaching representative and have been made the member of the Ad-hoc Committee.

- (iv) For that the Constitution of the Ad-hoc Committee is wholly illegal and due to such constitution, an anarchy has been created in the College and the ultimate sufferers would be the students pursuing their studies in the College.
- (v) For that the Board has overlooked its own decision and communication addressed to all the authorities with regard to holding the post of the principal of a college in case of vacancy of the same for any reason whatsoever and the law is well settled that only senior most teacher would acquire the post of Incharge Principal of the College.
- (vi) For that it is also an admitted position that Dr. Deepak Kumar Singh is much junior to the petitioner and even his appointment is not on the sanctioned post and as such he cannot be posted as the incharge principal of the College in any manner.
- (vii) For that the Board has overlooked the report of District Education Officer, Madhepura bearing

letter no. 181 dated 30.09.2014. That the petitioner should be authorized to take the charge of the Principal of the College and OMR Forms should be issued in favour of the Petitioner only.

(viii) For that the Board even though well aware of the fact that the OMR Forms have been issued to the Petitioner through the District Education Officer, Madhepura (hereinafter referred to the DEO) then in no circumstances, the Board should have treated the private respondent as the incharge Principal of the College.

(ix) For that the Board has issued the impugned notification which smells of extraneous consideration from the private respondents.

(x) For that the impugned notification is otherwise bad in law, malicious and is fit to be quashed.

(xi) For that all other grounds should be taken at the time of hearing of the case.

4. That at the outset, it would be relevant to state here that the Petitioner has been appointed as a Lecturer in the Department of Philosophy in the College in the year 1983 and after superannuation of Sri Pramod Mishra, he took over the charge of the Principal of the College, as he was the senior most teacher of the College.

5. That the Petitioner brings on record the list dated 25.06.2009 of the teaching employees of the College duly signed by different authorities of the College, which would suggest that after superannuation of Sri Pramod Mishra in the year 2014, the petitioner is the senior most teacher and is working on the sanctioned post. The private respondent Sri Deepak Kumar Singh, who has been appointed on 17.08.1990 and who is not even on the sanctioned post in the College and as such is a junior most teacher in the College. That the said chart would disclose one essential and surprising fact that his date of appointment is of the year 1990 and he has passed his M.A. examination in the year 1991, which itself creates doubt and fraud on his appointment itself and that person, whose appointment itself is illegal is being made the incharge principal of the college and also Member Secretary of the Managing Committee of the College.

A Photo copy of Chart of the Employee is annexed herewith and marked as Annexure-1 to this writ petition.

6. That since the issue involved in the present writ petition revolves around the fact that after superannuation of Principal/Professor-in-charge of the College, who will take over the charge of the College. The Bihar School Examination Board from time to time has issued different instructions to the Managing Committee as well as to the

District Education Officer on the aforesaid issue. The Petitioner would like to bring on record the letter dated 07.05.2012 and 13.03.2012, issued by the Board by which it has been specifically instructed that the age of superannuation of teacher and non-teaching employees working in +2 Schools would be 60 years and after his superannuation, the senior most teacher would be given the charge of Principal of the College.

A Photo copy of letter dated 07.05.2012 and 13.03.2012 are annexed herewith and marked as Annexure-2 and 3 to this writ petition.

7. That from perusal of the aforesaid chart of the employees, it would be apparent that after superannuation of Sri Pramod Mishra, the petitioner is the Senior most teacher in the College and as such he is entitled for the post of Professor-in-charge of the College in view of the aforesaid different instructions issued by the Board, but the Board itself in contrary to the aforesaid provision has mentioned the name of the Junior most teacher working on the post in the college, which is even not sanctioned, as the Principal of the College in the impugned notification dated 07.01.2015, which is wholly illegal and in teeth of the different instructions of the Board.

8. That the Petitioner would like to bring on record some of the letters given by the Secretary of the Managing Committee to the then Professor incharge of the College to hand over the charge to the petitioner, as he is the senior most teacher. The Managing Committee gave several reminders when no steps were taken by the said Professor incharge of the College and ultimately the petitioner was a letter by the Managing Committee giving him the charge of Professor incharge of the College, since Sri Pramod Mishra superannuated from service after completion of 60 years of age.

Photo copy of some of the letters are annexed herewith and marked as Annexure-4 Series to this writ petition.

9. That the District Education Officer, Madhepura vide its letter bearing No. 1612 dated 06.09.2014 addressed to Sri Pramod Mishra directing him to hand over the charge to the senior most teacher of the College. By the aforesaid letter he was also intimated that if the charge is not handed over to the senior most teacher within 24 hours then appropriate legal action would be taken against him.

Photo copy of letter dated 06.09.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this writ petition.

10. That at this stage, it would be relevant to state here that on the basis of the aforesaid letter of the District Education officer dated 06.09.2014, the superannuated principal, namely, Pramod Mishra, with a cunning interest handed over the charge to one Dipak Kumar Singh, the junior most teacher and as such the petitioner by its letter dated 22.09.2014 addressed to the District Education Officer, Madhepura requested to enquire into the matter and take all appropriate action so that the charge could be handed over to the petitioner, as he is the senior most teacher as per description of place of posting.

Photo copy of letter dated 22.09.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-6 to this writ petition.

11. That the District Education Officer vide its letter dated 25.09.2014 addressed to the Secretary of the Managing Committee reminding therein that by earlier letter dated 09.09.2014, it was directed to Sri Pramod Mishra to hand over the charge to the senior most teacher but the same has been handed over to the junior most teacher, which is contrary to law. It was also informed that the private respondent i.e. Dipak Kumar Singh has even taken the OMR registration Form, which is also illegal and as such it was directed to the Managing Committee to take all steps to hand over the charge to the petitioner and further it was directed

to issue necessary direction to the private respondent to return the OMR forms, which have been received by him and if the same would not be done then the matter would be taken seriously by cancelling the said OMR form and appropriate legal action would be taken.

Photo copy of letter dated 25.09.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-7 to this writ petition.

12. That the Secretary of the Managing Committee by its letter dated 26.09.2014 issued appropriate direction to the private respondent to hand over the charge to the petitioner and make available the OMR registration forms, otherwise F.I.R. will be lodged against him. Even a notification dated 28.09.2014 was issued by the Secretary of the Managing Committee in favour of the petitioner giving him appointment on the post of Incharge Professor of the College and subsequently the petitioner gave his joining on 29.09.2014, which was accepted by the Managing Committee of the College.

Photo copy of letter dated 26.09.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-8 to this writ petition.

13. That the District Education Officer, Madhepura by its letter dated 30.09.2014 addressed to the Secretary of the Board informing therein that the petitioner is Senior most teacher in the College and as such the OMR forms handed over to the private respondents should be cancelled and the OMR forms should be issued to the Petitioner. The said letter gave description of the entire facts, which was happening in the College.

Photo copy of letter dated 30.09.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-9 to this writ petition.

14. That the District Education Officer, Madhepura by its letter no. 1743 dated 30.09.2014 addressed to the Branch Manager of the State Bank of India, Bihariganj informing therein to add the name of the petitioner as incharge Principal of the College. Even the specimen signature of the Petitioner duly attested by the District Education Officer, Madhepura was submitted in the Bank.

Photo copy of letter no. 1743 dated 30.09.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-10 to this writ petition

15. That the petitioner brings on record some of the representations given to different authorities bringing to the

kind notice all the aforesaid facts but the same has not been considered by the Board.

Photo copy of some of the representations are annexed herewith and marked as Annexure-11 Series to this writ petition.

16. That the petitioner would like to highlight the letter bearing no. 207 dated 12.11.2014 by which the District Education Officer, Madhepura has explained to the Board that the petitioner has been given permission to discharge his duty as incharge Principal of the College and OMR Forms have also been issued in his favour by the office.

Photo copy of letter no.207 dated 12.11.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-12 to this writ petition.

17. That the Secretary of the Board vide its letter dated 28.11.2014 addressed to the Principal of K.P. College, Muraliganj nominating him, as the convenor of the college of the Petitioner, in view of the fact that a decision has been taken by the Board to constitute an Ad-hoc Managing Committee in the College and as such it was directed to constitute an Ad-hoc Committee and produce all the

evidences in the office of the Board so that further necessary action would be taken.

Photo copy of letter dated 28.11.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-13 to this writ petition.

18. That the Petitioner by its letter dated 06.12.2014 addressed to the convener of the Managing Committee informing therein that though he has been given the charge of the Principal of the College on 29.09.2014 but the superannuated employee i.e. Pramod Mishra has not handed over the charge and as such great difficulty occurs in maintaining the affairs of the College and as such it was requested to take appropriate steps to hand over the charge to the petitioner. It is also pertinent to state here that all the teaching and non-teaching employees of the college by its different representations have requested the authorities for the same

Photo copy of letter dated 06.12.2014 is annexed herewith and marked as Annexure-14 to this writ petition.

19. That the Board by its notification dated 07.01.2015 constituted an Ad-hoc Managing Committee in the College

and has mentioned the name of Dr. Dipak Kumar Singh, as the Principal of the College and he has been nominated as Principal-cum-Member Secretary of the Ad-hoc Managing Committee. The petitioner has serious objection in inclusion of the name of the private respondent in the said list of Ad-hoc Managing Committee as the District Education Officer, Madhepura from time to time has given instruction to the College to hand over the charge to the petitioner, as he is the senior most teacher of the College and further the Board was also made aware of the fact by the District Education Officer as well as by the Managing Committee of the College that the petitioner is a senior most teacher and as per the instruction of the Board, he should be given the charge of Principal of the College. Even the convener of the college was made aware of the aforesaid facts but everyone has knowingly overlooked the aforesaid objections and has nominated the private respondent, as the principal of the College.

Photo copy of letter dated 07.01.2015 is annexed herewith and marked as Annexure-15 to this writ petition.

- 20.** That the Board was duly made aware about all the aforesaid facts but in spite of that the impugned notification has been issued overlooking the factual aspect and also overlooking the earlier instructions issued by the Board from time to time. In spite of the admitted fact which the Board is also

well aware that the private respondent is the junior most teacher in the College but then also, an erroneous decision has been taken giving by issuing the impugned notification. The aforesaid decision is wholly arbitrary, illegal and malafide.

21. That the Respondent Board is giving due support to the private respondent for the reasons best known to them.
22. That in the facts and circumstances of the case, it is just and expedient in the interest of justice, fair play and equity that this Hon'ble Court may interfere in the matter and direct the Board to replace the name of private respondent and incorporate the name of the petitioner in the impugned notification and the petitioner should be treated as the Principal of the College and the Member Secretary of the Ad-hoc Managing Committee of the College. The Board should further be directed to not to entertain any claim made by the private respondent claiming himself to be the Prof. In-Charge of the College and further only the application of the Petitioner should be entertained as being the Prof. In-Charge of the College for any future purpose.
23. That the Respondents should not interfere in the day to day affairs of the College and should act impartially on the genuine claim made by the Parties.

24. That the petitioner has not moved this Hon'ble Court for the reliefs sought for through the instant petition on any earlier occasion.
25. That the petitioner has no other equally efficacious alternative remedy than to move before this Hon'ble court.

It is, therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to admit this application, issue rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs sought for in paragraph no.-1 of this writ application be not granted and on return of the rule and on such cause as may be shown and hearing the parties make the rule absolute.

AND/OR

During the pendency of the Writ Petition, the Respondent Board be directed to treat the petitioner as In-charge Principal of Hansi Mandal College, Bihariganj, Madhepura.

AND/OR

During the pendency of the Writ Petition, the impugned notification dated 07.01.2015 issued by the Board should be stayed.

And/Or

Pass such other order or orders as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And for this the petitioner shall ever pray.

A F F I D A V I T

I, Ravindra Kumar, aged about 59 years, son of Late Shiv Prasad Mehta, resident of Village- Sheikhpura, P.S.- Bihariganj, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That, I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That, I have read the contents of this petition and have understood the same and the statements made in paragraphs are true to my knowledge, information derived from records of the case and by way of submission before this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are true/photo copies of their respective originals.

Ravindra Kumar

Answer - 1

2

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय, भागवतनगर दिशरीगंज (मधुपुर)
सूजित पद पर कार्यरत कला संकाय शिक्षकों की सूची

क्र०	शिक्षक का नाम	विषय	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	योगदान तिथि	पंथता	स्नातकोत्तर पंथता विषय	श्रेणी	प्राप्ति का प्रतिशत	वर्ष	अनुसंधान
1	श्री सुरेश प्र० सिंह	हिन्दी	13.05.50	24.07.80	25.07.80	एम०ए	हिन्दी	॥	50.00%	1977	4.58.83
2	श्री प्रनाद मिश्र	भंगिनी	13.03.54	14.09.82	17.09.82	एम०ए	भंगिनी	॥	53.01%	1981	
3	श्री रविन्द्र कुमार	दर्शन शास्त्र	07.09.55	12.09.83	15.09.83	एम०ए	दर्शन शास्त्र	॥	57.03%	1983	
4	श्री लचीन्द्र यादव	प्रा० इतिहास	10.12.56	22.09.84	24.09.84	एम०ए	प्रा० इतिहास	॥	54.01%	1984	
5	श्री सुभाषचन्द्र यादव	समाज शास्त्र	15.12.58	05.08.85	08.08.85	एम०ए	समाज शास्त्र	॥	51.01%	1985	
6	श्री नरेश्वर प्र० सिंह	प्रा० अर्थशास्त्र	13.02.63	24.06.87	07.07.87	एम०ए	प्रा० अर्थशास्त्र	॥	48%	1988	
7	श्री राजविलास कु० गुप्ता	अर्थशास्त्र	11.11.61	03.07.87	08.07.87	एम०ए	अर्थशास्त्र	॥	53.01%	1988	
8	श्री राजविलास गुप्ता	हिन्दी	26.06.58	18.12.87	02.01.88	एम०ए	हिन्दी	॥	49.02%	1986	
9	श्री अच्युत कुमार चौधरी	श्रम एवं समाजकल्याण	02.02.61	01.03.88	01.03.88	एम०ए	श्रम एवं समाजकल्याण	॥	58.08%	1984	
10	श्री धनंजय प्र० सिंह	राजनीति शास्त्र	05.12.58	01.03.88	09.03.88	एम०ए	राजनीति शास्त्र	॥	58.08%	1984	
11	श्री रविन्द्रासाहा	गणित	03.01.62	07.03.88	04.04.88	एम०ए	गणित	॥	65.05%	1986	
12	श्री दिलीप कुमार चौधरी	इतिहास	01.12.68	05.10.88	08.10.88	एम०ए	इतिहास	॥	45.08%	1984	
13	श्री सुधीर कुमार	अर्थशास्त्र	15.02.58	12.12.88	13/12.88	एम०ए	अर्थशास्त्र	॥		1988	
14	श्री साधुशरण सिंह	अर्थशास्त्र	07.05.62	08.09.89	10.09.89	एम०ए	अर्थशास्त्र	॥		1988	
15	श्री विनोद कुमार	अर्थशास्त्र	06.01.68	25.07.98	27.07.98	एम०ए	अर्थशास्त्र	॥		1988	

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a date '21.10.11' and a signature.

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय, भागवतनगर बिहारीगंज (म.प्र.)
असुजित पद पर कार्यरत कला संकाय शिक्षकों की सूची

क्र०	शिक्षक का नाम	विषय	जनम तिथि	नियुक्त तिथि	योगदान तिथि	योग्यता	स्नातक स्तर योग्यता विषय	श्रेणी	प्राक्कांक प्रतिशत	दर्शन का वर्ष	अनुवर्ति
1	श्री मांहन मिश्र	भंगिनी	27.01.57	02.07.84	04.07.84	एम०ए	भंगिनी	II	52.08%	1982	
2	श्री नगेन्द्र नाग मिश्र	इतिहास	01.01.58	10.07.87	10.07.87	एम०ए	इतिहास	II	48.08%	1986	
3	श्री शावरांकर प्र० सिंह	समाज शास्त्र	05.01.64	15.01.88	07.03.88	एम०ए	समाज शास्त्र	II	52.06%	1986	
4	श्री इरन्द सिंह	अर्थशास्त्र	01.08.60	01.04.88	04.04.88	एम०ए	अर्थशास्त्र	II	49.00%	1986	
5	श्री नरेश मांहन	हिन्दी	28.02.60	20.12.88	02.01.89	एम०ए	हिन्दी	II	52.03%	1988	
6	श्री सुनील कुमार सिंह	ग्रा० अर्थशास्त्र	02.01.63	06.01.89	09.01.89	एम०ए	अर्थशास्त्र	II	45.07%	1988	
7	श्री निरांज कुमार सिंह	प्राचिन इतिहास	13.07.62	05.01.90		एम०ए	प्राचिन इतिहास	I	60.12%	1990	
8	श्री दीपक कुमार सिंह	राजनीति शास्त्र	07.05.66	17.08.90	25.08.90	एम०ए	राजनीति शास्त्र	I	62.01%	1991	

27/08/2022
25/08/2022
शिक्षक प्रतिनिधि
श्री. राजू साहू
हंसी मंडल महा विद्यालय,
भागवतनगर, बिहारीगंज (म.प्र.)

25/08/2022
श्री. म. प्र. साहू
बिहारीगंज, भागवतनगर
भागवतनगर (म.प्र.)

25/08/2022
श्री. म. प्र. साहू
बिहारीगंज, भागवतनगर
भागवतनगर (म.प्र.)

Annex - 2

23

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना
पत्रांक : BSEB(SS)/Coll-Estb/3229/D-12 पटना दिनांक : 13/03/12

प्रेषक,

ललन झा
सचिव

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा ।

986
11.5.12

विषय : समिति के पत्रांक-BSEB(SS)/Coll-Estb/3229/D-12 दिनांक-13.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि समिति द्वारा इतर महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु +2 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुरूप 60 (साठ) वर्ष निर्धारित की गई है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय के वरीयतम शिक्षक प्रभारी प्राचार्य का कार्य करेंगे । इसके बावजूद महाविद्यालय में गठित प्रबंधन समिति एवं प्रभारी प्राचार्य द्वारा समिति के उक्त पत्र का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि समिति द्वारा निर्गत पत्र का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय एवं इसकी सूचना समिति कार्यालय को भी दी जाय ।

सुलभ अवलोकन हेतु पूर्व में प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

27/3/12

सचिव

27/3/12

डा. ललन झा - मधेपुरा, दिनांक 12.3.12

प्रतिनिधि! जिला कार्यरत पदाधिकारी, माध्यमिक परीक्षा, मधेपुरा को सूचना के लिए आपस में संपर्क स्थापित करें। (उन्हें निर्देश देंगे) जहां से उक्त पत्र में निर्देश दिए गए हैं। अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना प्रशासनिक को भी दें।

27/3/12 मधेपुरा

Annexure - 3
B-1-EC/COI-ESAB/06131

OC (24)

पत्रांक B-1-EC/COI-ESAB/3229/D-12

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उच्च माध्यमिक, पटना

प्रेषक,

ललन झा,
सचिव,

सेवा में,

सचिव,
प्रबंधन समिति
हंसी मंडल महाविद्यालय
भागवतनगर, बिहारीमंज, मधेपुरा

पटना, दिनांक 13/03/12

विषय: -सेवा निवृत्ति उम्र सीमा निर्धारण के संबंध में।

सूचना

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि समिति (बोर्ड) द्वारा इंटर महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु विद्यालयी शिक्षा सेवा के अनुरूप 60 (साठ) वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय के वरीयतम शिक्षक प्रभारी प्राचार्य का कार्य करेंगे।

सूचनार्थ प्रेषित।

दिशवासमाजन

ly
2/12/12

सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

हंसी मंडल महाविद्यालय भागवतनगर बिहारीगंज मधेपुरा

प्रबंध समिति

पत्रांक:- प्र० सं०/०२/२०१४
सेवा में,

दिनांक:- ०७/०५/२०१४

श्री प्रमोद मिश्र प्रभारी प्राचार्य,
हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय भागवत नगर बिहारीगंज मधेपुरा।

विषय:- पदभार हस्तगत कराने के संबंध में।

प्रसंग:- बोर्ड पत्रांक-BSEB(SS)/COLL-ESTB/3229/D-12 दिनांक:-13.03.2012 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०) मधेपुरा
पत्रांक:-384 दिनांक-22.05.2012।

महाशय

उपर्युक्त प्रसांगिक विषयक पत्र के संबंध में सुचित करना है कि महाविद्यालय कर्मचारियों के द्वारा वरीयतम शिक्षक श्री रविन्द्र कुमार को प्रभारी प्राचार्य का पदभार हस्तगत कराने के लिए पत्र प्राप्त हुआ है।

दिनांक:-13.03.2014 को आप 60 (साठ) वर्ष की आयु को पूरा कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बावजूद प्रभार हस्तगत नहीं करना आपत्तिजनक है।

महाविद्यालय के लेखापाल एवं रोकड़पाल के द्वारा जिला पुलिस पदाधिकारी मधेपुरा को संबोधित पत्र की प्रतिलिपि मुझे प्राप्त हुआ है। परिवाद पत्र में आपके सेवानिवृत्ति पश्चात आपके द्वारा महाविद्यालय खाता सं०:-11634284242 से अवैध निकासी कर राशि को गबन का आरोप लगाया है जो अत्यंत गंभीर मामला है। जिस पर कानूनी कार्रवाई अपेक्षित है।

प्रसंग पत्र में बोर्ड द्वारा शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों कि सेवानिवृत्त आयु 60(साठ) वर्ष निर्धारित की गई है ऐसी स्थिति में महाविद्यालय के वरीयतम शिक्षक प्रभारी प्राचार्य का कार्य करेंगे।

अतः महाशय अनुरोध है कि बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वरीयतम शिक्षक श्री रविन्द्र कुमार को पदभार हस्तगत करेंगे तथा इसकी सूचना बोर्ड, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०) मधेपुरा एवं महाविद्यालय प्रबंधन को दी जाए।

विश्वासभाजन

गायत्री देवी

०-५-१६

सचिव प्रबंध समिति

ज्ञापांक- प्र० सं०/०२/२०१४

दिनांक:- ०७/०५/२०१४

प्रतिलिपि:- श्री रविन्द्र कुमार वरीयतम शिक्षक हंसी मंडल महाविद्यालय भागवत नगर बिहारीगंज को सूचनार्थ।

बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में प्रभारी प्राचार्य का कार्य करेंगे तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री मिश्र से प्रभार प्राप्ति की सूचना बोर्ड, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०) मधेपुरा एवं महाविद्यालय प्रबंधन को दी जाए।

विश्वासभाजन

गायत्री देवी

०-५-१६

सचिव प्रबंध समिति

ज्ञापांक- प्र० सं०/०२/२०१४

दिनांक:- ०७/०५/२०१४

प्रतिलिपि:- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०) मधेपुरा सादर सूचनार्थ प्रेषित।

बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में उपरोक्त सूचना समिर्पित की जाती है। महाशय से निवेदन है कि सेवानिवृत्त प्राचार्य श्री मिश्र के द्वारा महाविद्यालय के किसी भी कार्य का संपादन नहीं करने की कृपा की जाए।

सूचनार्थ - साधिव निरार किन्नालय परीक्षा
समिति (३०मा०) पटना।

विश्वासभाजन

गायत्री देवी

०-५-१६

सचिव प्रबंध समिति

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय

भागवतनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा

राज्य सरकार एवं बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त

26

प्रेषक :-

अध्यक्ष/सचिव/प्रचार्य

Date. 28/09/14

प्रेषित

सेवा में

श्री रवीन्द्र कुमार

वरीपत्रम थिफ्ट (दरिन शाला) विभाग

विषय :- प्रभारी प्राचार्य के निपुक्ति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अंकित तालिका है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी (मधेपुरा) - पत्रांक 1710 दिनांक 25-09-2014 से द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में प्रबंध समिति बैठक संख्या-33 दिनांक 28-09- में पारित निर्देश के आलोक में आपको महाविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है।

आपका अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देश के आलोक में प्रभारी प्राचार्य पद पर योगदान देकर महाविद्यालय का अचल अर्थ कार्य करेंगे।

विश्वासभाषीता

जायसी देवी

22-11-14

सचिव

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय, भागवतनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा

Annex -5

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

27

पत्रांक 1612 /

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

श्री प्रमोद मिश्र,
सेवा निवृत्त प्राचार्य,
हंसी मंडल इंटर कॉलेज, भगवतनगर,
बिहारीगंज, मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 09/09/14

विषय :- कॉलेज का सम्पूर्ण प्रभार सौंपने के संबंध में।
महाशय,

उपरोक्त विषयक सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक BSEB(05)/Call. Estab/3229/D-12 दिनांक 13.03.12 के आदेशानुसार महाविद्यालय के शिक्षकों की सेवा निवृत्ति आयु विद्यालय शिक्षा सेवा के अनुरूप 60 (साठ) वर्ष निर्धारित है, आप की आयु 60 वर्ष (दिनांक 31.03.12) पार कर चुकी है। परन्तु आपके द्वारा महाविद्यालय की सम्पूर्ण प्रभार महाविद्यालय के वरीयतम शिक्षक को नहीं सौंप कर वित्तीय अनियमितता वरती जा रही है। आपकी सेवा निवृत्ति की तिथि 31.03.12 है।

अतः आप को निर्देश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर महाविद्यालय का सम्पूर्ण प्रभार पदस्थापना विवरणी के आधार पर वरीयतम शिक्षक को सौंपना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन

09/09/14

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में

जिला शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा

Annexure - 6

28

बिषय:-सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रमोद मिश्र द्वारा भवदीय के आदेश का अवहेलना कर कनीय एवं फर्जी शिक्षक को प्रभार देने के संबंध में ।

महाशय,

सादर सूचित करना है कि पत्रांक-1612 दिनांक 09.09.2014 द्वारा महाविद्यालय का संपूर्ण प्रभार पदस्थापना विवरणी के आधार पर वरीयतम शिक्षक को सौंपने हेतु निर्देश दिया गया था लेकिन विरुद्ध सूत्रों से पता चला है कि श्री मिश्र कनीय एवं फर्जी शिक्षक दीपक कुमार सिंह को प्रभार सौंप दिये हैं, जो श्रीमान् के आदेश का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है । दीपक कुमार सिंह के फर्जी एवं कनीय का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि निम्न प्रकार है:-

1. दीपक कुमार सिंह की नियुक्ति विना विज्ञापन की हुई है। (प्रतिलिपि संलग्न)
2. उक्त योगदान तिथि 25.08.90 को वे एम.ए. पास तक नहीं है।
3. वैढक संख्या-44 दिनांक 21.07.90 श्री सिंह की सेवा संपुष्टि दिखलाई गई है। लेकिन योगदान तिथि 25.08.90 है। नियुक्ति के एक महीना पूर्व सेवा संपुष्टि हो जाना, फर्जी का ज्वलंत उदाहरण है।
4. बिहार सरकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि नियुक्ति से पूर्व सेवा की संपुष्टि हो जाय।
5. श्री सिंह का योगदान 25.08.90 एवं 27.08.90 दिखलाया गया है, जो पुर्जी वाड़ा का स्पष्ट उदाहरण है।
6. उक्त तिथि को श्री कमलचन्द्र दास एवं धनंजय प्रसाद सिंह(राजनीति शास्त्र विभाग) दोनों पुर्जियाँ कॉलेज में कॉपी जाँच में संलग्न थे । इधर श्री सिंह की सेवा संपुष्टि कैसे कर दी गई, आश्चर्य की बात है।
7. सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 23.03.09को सुर्यमुखी देवी द्वारा बोर्ड से शिक्षकों की सूची मँगायी गयी थी जिसमें दीपक कुमार सिंह का नाम नहीं है, (प्रतिलिपि संलग्न)
8. श्री मान् को मैं पूर्व में भी पत्र द्वारा सूचित किया था कि प्रमोद मिश्र किसी कनीय शिक्षक को प्रभार सौंप सकते हैं, जो सही साबित हो रहा है, (प्रतिलिपि संलग्न)

अतः श्री मान् से निवेदन है कि उपरोक्त साक्ष्य का जाँच कर श्री सिंह को फर्जी घोषित किया जाय, एवं उनके प्रभार को निरस्त करते हुए मुझे वरीयतम शिक्षक की हैसियत से प्रभार सौंपने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाय।

दिनांक:-22.09.2014

प्रतिलिपि:- सचिव

श्रीमान् को सूचित किया गया है कि प्रमोद मिश्र किसी कनीय शिक्षक को प्रभार सौंप सकते हैं, जो सही साबित हो रहा है, (प्रतिलिपि संलग्न)

श्री मान् का विश्वासभाजन -

स्वी. इ. कुमार
वरीयतम शिक्षक 21/9/14

हंसी मंडल इंटर कॉलेज बिहारीगंज, मधेपुरा

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा

पत्रांक

29

प्रेषक:- सेलेस्टीन हॉसदा,
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

गायत्री देवी, सचिव,
प्रबंध कार्यकारिणी समिति,
हंसी मंडल इंटर महाविद्यालय, भागवत नगर,
बिहारीगंज, मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक.....वी० सितम्बर 2014 ई०।

विषय:- श्री रविन्द्र कुमार, व्याख्याता, (दर्शनशास्त्र) हंसीमंडल इंटर महाविद्यालय, भागवत नगर,
बिहारीगंज, मधेपुरा को प्रभार दिलाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 1612 (नि०) दिनांक 09.09.2014 के द्वारा श्री प्रमोद मिश्र, सेवा निवृत्त प्राचार्य, हंसीमंडल इंटर महाविद्यालय, भागवत नगर, बिहारीगंज, मधेपुरा को वरीयतम शिक्षक को प्रभार सौंपने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा कनीय शिक्षक, डा० दीपक कुमार सिंह को प्रभार सौंप दिया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। श्री सिंह के द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से घोषायरी फर इन्टरमिडिएट पंजीयन OMR प्रपत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो अनुचित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री रविन्द्र कुमार, वरीयतम व्याख्याता, को पदस्थापन विवरणी के अनुसार प्रभार दिलाना सुनिश्चित किया जाय एवं श्री सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया OMR प्रपत्र इत्यादि अविलंब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को वापस करने हेतु निदेशित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में संबंधित प्रपत्र को रद्द करते हुए इसे गंभीरता से लिया जायेगा। साथ ही विश्वासभाजन

विधि समत कायुनी कारेवई की जायेगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक मधेपुरा, दिनांकवी० सितम्बर 2014.

प्रतिलिपि: डा० दीपक कुमार, व्याख्याता, हंसी मंडल इंटर महाविद्यालय, भागवत नगर, बिहारीगंज। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आपके द्वारा प्राप्त किया गया OMR प्रपत्र इत्यादि, अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को पत्र प्राप्ति के 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध स्थानीय याना में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी, जिसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 1710 मधेपुरा, दिनांक 25 वी० सितम्बर 2014.

प्रतिलिपि: श्री रविन्द्र कुमार, वरीयतम व्याख्याता, (दर्शनशास्त्र)/श्री प्रमोद मिश्र, सेवानिवृत्त प्राचार्य, हंसीमंडल इंटर महाविद्यालय, भागवत नगर, बिहारीगंज। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय भागवत नगर
बिहारीगंज मधेपुरा

Annex-8

पत्रांक :- प्र०स०/०४/१४

30

सेवा में

श्री दीपक कुमार सिंह
कनीय शिक्षक
हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय
भागवत नगर बिहारीगंज मधेपुरा

दिनांक :- 26/09/2014

विषय:- प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंग:- जिला शिक्षा पदाधिकारी पत्रांक-1710 दिनांक-25/09/2014

महाशय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक अंकित करना है कि आपके द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा कार्यालय से घोखाधरी कर सत्र 2013-15 के लिए सूचीकरण ओ०एम०आर० प्रपत्र प्राप्त कर लिया गया। जो आपत्तिजनक है।

महाविद्यालय प्रबंध समिति पत्रांक-प्र०स०/०२/२०१४

दिनांक-07/05/2014 के द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में महाविद्यालय पदस्थापना विवरणी के आधार पर वरीयतम शिक्षक श्री रविन्द्र कुमार को संपूर्ण पदभार सोपने हेतु सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य श्री प्रमोद मिश्र को निदेश दिया गया था।

पदभार हस्तगत करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी पत्रांक-1612 दिनांक-09/09/2014 के द्वारा भी श्री मिश्र को निदेश दिया गया था। परन्तु श्री मिश्र द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितता के कारण महाविद्यालय के 35 वरीय शिक्षकों के अधिकार का हनन करते हुए आपको प्रभार सौंप दिया गया जो नियमानुकूल नहीं है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर पदभार हस्तगत कराना सुनिश्चित कराते हुए आपके द्वारा घोखाधरी से प्राप्त किया गया सूचीकरण ओ०एम०आर० प्रपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध बिहारीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी जिसकी सारी जबाबदेही होगी।

विश्वासभाजिका

गायत्री देवी

26-9-14

गायत्री देवी

सचिव प्रबंध समिति

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय
भागवत नगर बिहारीगंज मधेपुरा

दिनांक :- 26/09/2014

पत्रांक :- प्र०स०/०४/१४

प्रतिलिपि :- सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य श्री प्रमोद मिश्र / वरीयतम शिक्षक श्री रविन्द्र कुमार / वरिष्ठ श्री सुभाषचन्द्र यादव
प्रधान शिक्षक श्री रंजन कुमार प्रखर। लंखापाल श्री अरुण कुमार। रोकडपाल श्री सदानन्द यादव को सूचनार्थ।

विश्वासभाजिका

गायत्री देवी

26-9-14

गायत्री देवी

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय

भागवत नगर बिहारीगंज मधेपुरा

दिनांक :- 26/09/2014

पत्रांक :- प्र०स०/०४/१४

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कोशी प्रमंडल सहरसा। सचिव बिहार वि० परीक्षा समिति उच्च मा० पटना / थानाध्यक्ष बिहारीगंज मधेपुरा को अपवश्यक कार्यार्थ सादर सूचनार्थ।

विश्वासभाजिका

गायत्री देवी

26-9-14

गायत्री देवी

सचिव प्रबंध समिति

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय

भागवत नगर बिहारीगंज मधेपुरा

दिनांक :- 26/09/2014

गायत्री देवी

26-9-14

गायत्री देवी

सचिव प्रबंध समिति

Annex - 8

(31)

कार्यलय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

जापांक 181 /

प्रेषक:- जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सचिव,

(रू 110)

बिहार विद्यालय परीक्षा, समिति, बिहार, पटना

मधेपुरा / दिनांक 30/09/2014

विषय:- हंसी मंडल इंटर महाविद्यालय, भागवतनगर बिहारीगंज में अध्ययनरत छात्रा/छात्राओं को पंजीयन के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक- 06.09.2014 एवं 26.09.2014 को हंसी मंडल महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय के सभी कामकाज की एक बैठक आयोजित की गई। व्याख्याता एवं अन्य कर्मियों से ज्ञात हुआ है कि महाविद्यालय में दो कमिटी संचालित हो रही है, एक पुरानी कमिटी है, एवं दूसरी तथा कथित नई कमिटी का गठन कर भवदीय सेवा में अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है। जो निम्न प्रकार है।

i. कमिटी के सचिव श्रीमति गायत्री देवी महाविद्यालय के भूमिदाता है, एवं अन्य समिति के सदस्य कार्यवाही पंजी के आधार पर कार्यरत है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

ii. दुसरी तथा कथित नई कमिटी भवदीय स्तर अद्यतन अवधि तक अनुमोदन नहीं किया गया है, विभागीय अधिनियम के प्रतिकूल कमिटी है। ऐसी स्थिति में पुरानी कमिटी ही महाविद्यालय का संचालन विभागीय नियमानुसार करने का अधिकार रखती है, जो न्यायसंगत प्रतीत होता है।


iii. अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के जापांक- 1612 दिनांक 09.09.2014 के द्वारा महाविद्यालय के धरथापना विवरणी के आधार पर बरीयतम व्याख्याता (श्री रवीन्द्र कुमार) को प्रभारी प्राचार्य का प्रभार देने का निदेश दिया गया था, परंतु सेवानिवृत्त प्राचार्य, (प्रमोद मिश्र) के द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए बहुत कनीय व्याख्याता को प्रभार दिया गया जो विभागीय नियम के प्रतिकूल है।

iv. अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 1710 दिनांक 25.09.2014 के द्वारा गायत्री देवी, सचिव प्रबंध कार्यकारिणी समिति हंसी मंडल इंटर महाविद्यालय भागवतनगर, बिहारीगंज को वरीयतम व्याख्याता श्री रवीन्द्र कुमार को प्रभार सौंपने को निदेश दिया गया था, उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए श्री रवीन्द्र कुमार को विधिवत प्रभारी प्राचार्य का प्रभार सौंपा गया जो विभागीय नियामानुसार हैं।

v. इंटर छात्र/छात्राओं की पजीयन हेतु OMR प्रपत्र वितरण हेतु भवदीय द्वारा अधिकृत कर्मी द्वारा कनीय व्याख्याता हंसी मंडल महाविद्यालय को OMR प्रपत्र हस्तगत करा दिया गया। जबकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया था कि महाविद्यालय के वरीयतम व्याख्याता (श्री रवीन्द्र कुमार) को ही OMR प्रपत्र हस्तगत कराया जाय। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करते हुए महाविद्यालय के कनीय व्याख्याता को OMR हस्तगत करा दिया गया। जो आदेश की अवहेलना की गई। नामांकित छात्र/ छात्राओं की पजीयन में कठिनाई उत्पन्न हो रहा है।

vi. अधोहस्ताक्षरी झापांक 1710 दिनांक 25.09.2014 के द्वारा कनीय व्याख्याता को OMR प्रपत्र 24 घंटे के अंदर वापस करने को निदेश दिया गया था, अनुपालन नहीं होने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु चेतावनी दी गई थी। परंतु अद्यतन अवधि तक OMR प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को वापस नहीं किया गया है, जो अत्यंत ही खेदजनक है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है, महाविद्यालय के पदस्थापना विवरणी के आधार पर वरीयतम व्याख्याता श्री रवीन्द्र कुमार को प्रभारी प्राचार्य अधिकृत करते हुए कनीय व्याख्याता श्री दीपक कुमार सिंह के द्वारा प्राप्त की गयी OMR प्रपत्र को निरस्त करते हुए नया OMR प्रपत्र (श्री रवीन्द्र कुमार प्रभारी प्राचार्य) को निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

कार्यलय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

33

पत्रांक 1743

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक, बिहारीगंज
भारतीय स्टेट बैंक (ATM) बिहारीगंज
मधेपुरा, दिनांक 30/09/2014

विषय:-

खाता संख्या 31101045517 एवं खाता संख्या 11634284242 की संचालन के संबंध में।

गहाशय,

उपरोक्त विषय के सदर्भ में कहना है कि खाता संख्या-- 31101045517 एवं खाता संख्या-- 11634284242 की संचालन हेतु पूर्व प्राचार्य की जगह नया प्रभारी प्राचार्य श्री रवीन्द्र कुमार का नाम जोड़ा जाय। पूर्व प्राचार्य श्री रामेश्वर कुमार मिश्र की सेवा निवृत्त होने के पश्चात् खाता संख्या-- 11634284242 में प्रभारी प्राचार्य श्री रवीन्द्र कुमार एवं बरसर की भूपेन्द्र प्र० यादव का नाम अंकित किया जाय। साथ ही खाता संख्या-- 31101045517 में प्राचार्य के जगह श्री रवीन्द्र कुमार का नाम अंकित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उक्त खाता का संचालन श्री रवीन्द्र कुमार प्रभारी प्राचार्य एवं बरसर श्री भूपेन्द्र प्र० यादव का हस्ताक्षर जोड़ने की कृपा की जाय। साथ ही खाता संख्या 31101045517 में पूर्व प्राचार्य के जगह श्री रवीन्द्र कुमार का नाम जोड़ा जाय। जिनका हस्ताक्षर नीचे अभिप्रमाणित है।

प्रभारी प्राचार्य का हस्ताक्षर -

① रवीन्द्र कुमार	① रवीन्द्र कुमार
② रवीन्द्र कुमार	② भूपेन्द्र प्र० यादव
③ रवीन्द्र कुमार	③ भूपेन्द्र प्र० यादव

विश्वभूषभाजन
30/9/14

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

प्रति हस्ताक्षर
30/9/14



पत्रांक :- 01/14

Amner - 11 Series

दिनांक:-01.10.2014

मो0:-9572224838

34

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय, भागवत नगर, बिहारीगंज
मधेपुरा।

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी

मधेपुरा

बिषय:-प्राथमिकी दर्ज करने एवं सूचीकरण OMR प्रपत्र रद्द करने के संबंध में ।
महाशय,

सादर सूचित करना है कि आपके पत्रांक 1710 दिनांक:-25.09.2014(छाया प्रति संलग्न) के आलोक में महाविद्यालय प्रबंध समिति बैठक संख्या -33 दिनांक:-28.09.2014 में पारित निर्णय के आलोक में मुझे महाविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है।

उपरोक्त निर्देश के आलोक में दिनांक :-29.09.2014 अपराह्न 03 बजे (छाया प्रति संलग्न) से महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य पद का यथोचित कार्य कर रहा हूँ परन्तु कनीय शिक्षक दीपक कुमार सिंह द्वारा आपके कार्यालय से घोखाघरी से प्राप्त किया गया सूचीकरण OMR प्रपत्र अब तक वापस नहीं कर अपने आवास पर गैर नामांकित छात्रों से मोटी रकम लेकर सूचीकरण OMR प्रपत्र भरवाया जा रहा है जिससे महाविद्यालय में नामांकित छात्रों का भविष्य अंधकार मय होता दीख रहा है।

आपके कार्यालय पत्रांक:-1612 दिनांक:-09.09.2014 (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में तथाकथित सेवा निवृत्त प्राचार्य श्री प्रमोद मिश्र द्वारा कनीय शिक्षक श्री सिंह को कब प्रभार हस्तगत करा दिया गया, इसकी जानकारी महाविद्यालय कार्यालय को नहीं है।

अतः महाशय से निवेदन है कि श्री सिंह के विरुद्ध बिहारीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुए श्री सिंह द्वारा घोखाघरी से प्राप्त सूचीकरण OMR प्रपत्र को रद्द करने का आदेश पारित करने की महती कृपा की जाय।

प्रतिलिपी :- (1) सचिव हंसी मंडल महाविद्यालय भागवत नगर बिहारीगंज। (2) थानाध्यक्ष बिहारीगंज, मधेपुरा। (3) जिला पदाधिकारी मधेपुरा। (4) क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सहरसा (5) सचिव बिहोर विद्यालय परीक्षा समिति (उ.मा.) पटना को आवश्यक कार्यार्थ एवं सादर सूचनाार्थ।

विश्वासभाजन

रवीन्द्र कुमार

11/10/14

रवीन्द्र कुमार

प्रभारी प्राचार्य

हंसी मंडल महाविद्यालय भागवत नगर
बिहारीगंज, मधेपुरा



35

स्वाध्यायान्मा प्रमदः

भागवतनगर, बिहारीगंज (मधेपुरा)

राज्य सरकार एवं बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त

प्रेषक : प्रधानाचार्य कार्यालय

Roll code - 6325

प्रेषित : सेवा में,

Date 07/10/14

सचिव,

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (30 मा) पर
विषय : - छात्र हित में पंजीयन O.M.R. प्रपत्र निर्गत
करने के सम्बन्ध में।
महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में निवेदन है कि
जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा डा. पांक 17/10
दिनांक 25/10/14 के द्वारा मुझे रक्षापना विवरणी के
आधार पर पंजीयन प्रान्चार्य बनाया गया।
कनिष्ठ शिक्षक दीपक कुमार सिंघने दोखा-
द्वारी से जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के कार्यालय
से पंजीयन O.M.R. प्रपत्र प्राप्त कर लिया जो आज
तक महाविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया।
ऐसी स्थिति में नामांकित छात्र-छात्राओं के बीच
काफी आक्रोश उत्पन्न है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि
छात्र हित को देखते हुए पंजीयन O.M.R. एवं अन्य
प्रपत्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

छात्र की संख्या -
बला - 472
विज्ञान - 544
वाणिज्य - 30
स्वयंसेवा - 192
पूर्ववर्ती - 100 कुल
1338 कुल

श्रीमानक, बिहार विद्यालय -
रवींद्र कुमार
07/10/14
श्रीमानक, बिहार विद्यालय -
रवींद्र कुमार

Annex - 12

36

कार्यालय: जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

पत्रांक.....१०७...../

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
(उच्च माध्यमिक) पटना।

मधेपुरा, दिनांक 12/11/14

विषय-

इन्टरमीडिएट परीक्षा-2015 से संबंधित शेष बचे पंजीयन प्रपत्र एवं अन्य कागजात समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि इन्टरमीडिएट परीक्षा-2015 के लिए इस जिले के कुल बावन(52) विद्यालयों/महाविद्यालयों का ओ0एम0आर0 एवं अन्य संगत कागजात इत्यादि भवदीय द्वारा प्रतिनियुक्त दूत को उपलब्ध करा दिया गया है।

पुनः निम्न महाविद्यालयों से ओ0एम0आर0/सूची करण प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। जिससे विलंब का कारण सहित उल्लेख करते हुए जमा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

• 63025- हंसी मंडल महाविद्यालय बिहारीगंज। इस विद्यालय में प्राचार्य के विवाद के कारण अघोहस्ताक्षरी के पत्रांक-162 दिनांक-9.9.14 के द्वारा वरीय शिक्षक श्री रविन्द्र कुमार को प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गयी है। साथ ही इनको ही कार्यालय से ओ0एम0आर0 प्रपत्र निर्गत किया गया। कार्यालय पत्रांक-19; दिनांक 30.09.2014 के द्वारा कनीय व्याख्याता श्री दीपक कुमार सिंह के द्वारा प्राप्त की गयी ओ0एम0आर0 को निरस्त करने हेतु भवदीय को पत्र लिखा गया, साथ ही क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सहरसा के निदेशानुसार उक्त विद्यालय के छात्रा संचालन पर रोक लगायी, परंतु उस छात्रा में छात्रों के पंजीयन से संबंधित जमा की गयी राशि की निकासी पर रोक लगने के कारण निर्धारित तिथि 01.11.2014 को विलंब दंड के साथ चालान से राशि से जमा नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् प्रभारी प्राचार्य रविन्द्र कुमार के आवेदन के आलोक में छात्र हित में उक्त महाविद्यालय के लिए विलंब दंड की राशि की निकासी अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक 1803 दिनांक 05.11.2014 के द्वारा दी गयी। तत्पश्चात् विलंब दंड के फलस्वरूप छात्रों का चालान एवं अन्य कागजात दिनांक 07.11.2014 को पंजीयन कार्यालय में जमा किया गया।

• 63020- एन0बी0जे0 महिला महाविद्यालय, मधेपुरा। इस विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य श्री इन्द्रदेव यादव के द्वारा समिति कार्यालय में दिनांक 20.08.2014 को ग्यारहवीं का परीक्षाफल जमा किया गया। जिसके फलस्वरूप अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक-182 दिनांक 30.09.2014 के द्वारा भवदीय को संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को ओ0एम0आर0 हस्तगत कराने हेतु अनुरोध किया गया। तत्पश्चात् उक्त महाविद्यालय के छात्राओं के नामांकन से संबंधित अभिलेख की जाँचोपरांत ओ0एम0आर0 निर्गत किया गया। निर्धारित तिथि के अनुरूप ही उक्त महाविद्यालय द्वारा सूची करण प्रपत्र अघोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा किया गया।

अतएव उपयुक्त तथ्यों के आलोक में भवदीय से सादर अनुरोध है कि छात्र/छात्राओं के हित में संबंधित महाविद्यालयों का ओ0एम0आर0/सूचीकरण/चालान इत्यादि जमा करने की कृपा की जाय। जिससे कि छात्र/छात्राओं का भविष्य सुरक्षित हो सके।


जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मधेपुरा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना

(37)

प्रेषक,

नीलम कुमारी,
सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
के० पी० कॉलेज, मुरलीगंज
मधेपुरा ।

पटना, दिनांक :/2014

विषय:- तदर्थ प्रबंध समिति गठित कर साक्ष्य सहित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रासंगिक हंसी मंडल महाविद्यालय, भागवत नगर, बिहारीगंज, मधेपुरा में पूर्व प्रकाशित विज्ञापित सं०-50/2013 एवं 55/2013 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में तदर्थ प्रबंध समिति गठन करने का निर्णय लिया गया है । जिसमें समिति की ओर से आपको संयोजक के रूप में नामित किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि संशोधित विनियम-2013 के अध्याय-V(क) के विनियम-17(ख) के आलोक में तदर्थ प्रबंध समिति का गठन कर साक्ष्यों के साथ समिति कार्यालय में यथा शीघ्र प्राप्त करायी जाय, ताकि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई किया जा सके ।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक : BSEB(SS)/Coll-Estab/6832/D-14

सचिव
पटना, दिनांक : 27/11/14

प्रतिलिपि :-

1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
2. प्राचार्य, हंसी मंडल महाविद्यालय, भागवत नगर, बिहारीगंज, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

AR
27-11-14नीलम कुमारी
27-11-14
सचिव

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय

भागवतनगर, बिहारीगंज, मधेपुरा

राज्य सरकार एवं बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त

कोड संख्या - 6325

38

दिनांक

अध्यक्ष/सचिव, प्राचार्य

सेवा में

सेवा में,

दिनांक 06-12-14

प्रधानाचार्य

के. पी. कॉलेज, मुरलीगंज (मधेपुरा)

संयोजक

हंसी मंडल इन्टर महाविद्यालय, भागवत
नगर, बिहारीगंज

विषय :- विधिवत प्रभार के संबंध में
महोदय,

उपरोक्त विषयक संबंध में कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकाारी, मधेपुरा के पत्रांक 1710 दिनांक 25-09-14 के निर्देशानुसार मुझे प्रवक्ताकीर्ण समिति द्वारा दिनांक 29-09-14 को प्रभार मिला, लेकिन सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रमोद मिश्र द्वारा विधिवत प्रभार नहीं मिलने के कारण महाविद्यालय का कार्य संचालन में बाधों के कारण ठीक ठीक नहीं चल रहा है। अतः श्री मन् से निवेदन है कि मुझे विधिवत प्रभार दिलाने की कृपा की जाय, इसके लिए महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकवैतन कर्मचारियों ने भी अपनी-अपनी सहमति प्रकट की है।

आपका विश्वासु भागीदार -

रवीन्द्र कुमार

06/12/14
PRINCIPAL
H.M.C. B. BHARIGANJ
(MADHEPURA)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना

अभिसूचना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली-2011 तथा संशोधित विनियमावली-2013 के अन्वय में की गई कार्यवाही में अंकित प्राधान्य के अनुसार अधिकांश की संख्या में समितियों का गठन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सदस्य समिति की सूची में अधोलिखित हंसरी मंडल महाविद्यालय भागवत नगर, बिहारीगंज, मधेपुरा (महाविद्यालय कोड-63020) में प्राधान्य के अनुसार समिति का गठन किया जाता है।

क्र०सं०	सदस्यों का नाम	पदनाम
(i)	डॉ० के० एच० ओझा -- प्राचार्य के० पी० गोसैह, मुन्शीगंज, मधेपुरा । फोन नं०- 9431832111	समिति द्वारा नामित सदस्य प्राचार्य
(ii)	डॉ० दीपक कुमार सिंह -- प्राचार्य	प्राचार्य सह सदस्य सदस्य
(iii)	डॉ० रामचन्द्र झा -- शिक्षक प्रतिनिधि (पुरुष)	सदस्य
(iv)	डॉ० दिलीप कुमार चौधरी -- शिक्षक प्रतिनिधि (महिला)	सदस्य
(v)	श्री राजकुमार भगत -- शिक्षक प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	श्री मोहन प्रसाद गुप्ता -- प्राधान्य अधिकारी (पुरुष)	प्राचार्य
(vii)	श्रीमती रजनी देवी -- स्वतंत्र अभियोजक (महिला)	सदस्य

सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक), पटना

आपका सं० BS/113(SS)/C/2011-12-70620-1/10/2011

दिनांक 07-01-2012

प्रतिलिपि:

- 01. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनाएं भेजी जा रही हैं।
- 02. प्राचार्य सह सदस्य समिति हंसरी मंडल महाविद्यालय भागवत नगर, बिहारीगंज, मधेपुरा को सूचनाएं भेजी जा रही हैं। आवश्यक कार्रवाई प्रेषित है।
- 03. डॉ० के० एच० ओझा -- प्राचार्य के० पी० गोसैह, मुन्शीगंज, मधेपुरा को इस विवेक में सूचनाएं भेजी जा रही हैं। प्राधान्य सदस्यों की सूची पर प्राधान्य के अनुसार समिति का गठन किया गया है। सूचनाएं समिति के कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। सूचनाएं प्राप्त होने के बाद समिति के कार्यालय में सूची पर प्राधान्य के अनुसार समिति का गठन करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई किया जा सके है।

7-1-12

सचिव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक), पटना